

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर (ग्रामीण)।

145/2024

मोती बनाम रणजीता

ज्ञा ही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
4	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता जितेन्द्र कुमार गौतम हाजिर। अप्रार्थी संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता रमेश चौधरी हाजिर। अप्रार्थी संख्या 3, 4 को सम्यक तामील के उपरान्त भी हाजिर नहीं, अतः अप्रार्थी संख्या 3, 4 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।</p> <p>प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थी को सुनने के उपरान्त हम पाते हैं कि विवादित भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सहखातेदार है, एवं विवादित भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है।</p> <p>अतः वाद बहुलता को रोकन एवं वाद की विषयवस्तु को बनाए रखने हेतु प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 2 में उल्लेखित भूमि पर उभय पक्षों को ताफैसलावाद मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी चाकसू(जयपुर)</p>	